

## न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद ।

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908 की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम0 आर0 केश नं0- 16/2023-24

### —:आदेश:—

अभिलेख आज उपस्थापित। आवेदक के आवेदन सं0- RCMSON23049835 के आलोक में अंचल अधिकारी, बलियापुर से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचल अधिकारी, बलियापुर द्वारा अपने पत्रांक- 1548, दिनांक- 11.12.2023 से जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदिका मालती देवी, पति- स्व0 साहेब राम महतो, साकिन- बाघमारा, पो0- बाघमारा, थाना- बलियापुर, जिला- धनबाद, अपनी जमीन मौजा- बाघमारा, मौजा नं0- 197, गत् खाता सं0- 23, गत् प्लॉट सं0- 225, हाल खाता सं0- 392, हाल प्लॉट सं0- 733,734, क्रमशः रकवा- 01 डिसमील एवं 03 डिसमील, कुल रकवा- 04 डिसमील भूमि 1. मोहन महतो, 2. सुदेश महतो, 3. विजय कुमार महतो, पिता- स्व0 निवारण महतो, साकिन- बाघमारा, पो0- बाघमारा, थाना- बलियापुर, जिला- धनबाद, को बेचने की अनुमति चाहते हैं। अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता एवं क्रेता एक ही जाति के कुर्मी हैं तथा दोनों एक ही थाना- बलियापुर, जिला- धनबाद के निवासी हैं। जमीन रैयती खाते की है, बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास 80.5 डिसमील शेष भूमि बचती है। अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908 की धारा 46 (1)(b) के तहत आवेदक को प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुमति उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित,

भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
धनबाद ।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
धनबाद ।